25-10-19 वकील उभयपक्ष उपस्थित वकील वादी द्वारा साक्ष्य स्वरूप फार्म नं. 3 के साथ दस्तावेज प्रस्तुत किये बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन बाद वादी स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाये जाने के उपरान्त शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(कपील यादव)
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– कपिल यादव आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 283/2019

1 विजय सिह पुत्र बद्री प्रसाद जाति जाट निवासी जोरावरपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़। – – वादी

–:: बनाम ::–

1 बद्री प्रसाद पुत्र हरीराम जाति जाट निवासी जोरावरपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़।

2 प्रदीप कुमार पुत्र बद्रीप्रसाद जाति जाट निवासी जोरावरपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़।

3 संदीप कुमार पुत्र बद्री प्रसाद जाति जाट निवासी जोरावरपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़।

4 ओरियंटल बैंक आफ कॉमर्स जरिये शाखा प्रबन्धक शाखा चोहिलावाली तहसील हनुमानगढ़।

5 ओरियंटल बैंक आफ कॉमर्स जरिये शाखा प्रबन्धक शाखा मैनावाली तहसील हनुमानगढ़।

6 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़। – – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, आर.टी.ए. बाबत घोषणा

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री रवि कुमार अधिवक्ता — वादी
2. श्री मदनलाल मुण्ड अधिवक्ता — प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5
3. राज पैराकार — प्रतिवादी संख्या 6

–:: निर्णय ::– दिनांक :– 24.10.2019

वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 88, आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि वादी व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के पिता प्रतिवादी संख्या 1 बद्री प्रसाद के नाम से चक 3 एच.एल.एम. के खाता संख्या 9/7 पत्थर नम्बर 131/374 (12) किला नम्बर 21/1/.127, पत्थर नम्बर 130/374 (13) किला नम्बर 15/1/.013, 25/2/.152, पत्थर नम्बर 130/375 (32) किला नम्बर 5/2/.164, 6/2/.164, 15/2/.164, 16/2/.164 , पत्थर नम्बर 131/375 (33) किला नम्बर 1/.253, 2/1/.215, 3/1/.076, 6/1/.051, 7/1/.190, 8 ता 19, 23/2/.228, 24/2/.228 , पत्थर नम्बर 132/375 (34) किला नम्बर 11/1/.177 इस प्रकार कुल तादादी 5.402 हैक्टर मय गैरमुमकिन खाला खातेदारी भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। नकल जमाबंदी सलंग्न वाद पत्र है।

वाद पत्र की चरण संख्या 2 मे वर्णित भूमि प्रतिवादी संख्या 1 बद्री प्रसाद को अपने पिता हरीराम से विरास्तन मे प्राप्त हुई है। वाद पत्र की चरण संख्या 2 मे वर्णित सम्पूर्ण कृषि भूमि संयुक्त हिन्दु परिवार की जद्दी जायदाद है वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 संयुक्त हिन्दु परिवार के सदस्य है और वादग्रस्त जद्दी जायदाद मे वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 बतौर कोपासनर बहिस्सा बराबर के जन्म से हकदार है।

लगातार 2

सहायक कलेक्टर उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Scanned by CamScanner

वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 संयुक्त हिन्दु परिवार के सदस्य है प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से वाद पत्र की चरण संख्या 2 मे वर्णित समस्त भूमि संयुक्त हिन्दु परिवार की जद्दी जायदाद बतौर कर्ता संयुक्त हिन्दु परिवार राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का बतौर कोपारसर जन्म से हक व हिस्सा है परन्तु भूमि राजस्व रिकार्ड मे प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज होने के कारण वादी व प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 के हितों पर कुठाराघात हो रहा है इसलिए वादी इस आशय की घोषणा करवाने का अधिकारी है कि वाद पत्र की चरण संख्या 2 मे वर्णित समस्त कृषि भूमि संयुक्त परिवार की जद्दी जायदाद होने के कारण वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 प्रत्येक 1/4 हिस्सा के हकदार है।

वाद पत्र की चरण संख्या 2 मे वर्णित भूमि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 प्रत्येक 1/4 हिस्सा अर्थात बहिस्सा बराबर के हकदार है। इसी अनुसार घोषणा करवाने के अधिकारी है एवं घोषणानुसार राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई दफा कहा कि वाद पत्र की चरण संख्या 2 मे वर्णित भूमि का मुताबिक हक हिस्सा घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड मे अंकन करवा ले व खाता अलग अलग कायम करवा लेवे। पहले तो वह टाल मटोल करता रहा फिर आज से एक सप्ताह पूर्व मुकाम जोरावरपुरा मे कतई इन्कार हो गया, यही विनाय मुखास्मत दावा है।

प्रतिवादी संख्या 4, 5 व 6 के विरूद्व वाद पत्र मे कोई अनुतोष नही चाहा गया है परन्तु भूमि बैंक रहन होने के कारण बैंक को प्रतिवादी संख्या 4 व 5 के रूप मे पक्षकार बनाया गया है तथा प्रतिवादी संख्या 6 को बतौर भू-धारक पक्षकार बनाया गया है।

दावा श्रीमान न्यायालय के क्षेत्राधिकार श्रवणाधिकार व अंदर मियाद और पूर्ण न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है। लिहाजा वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे :-

(क) घोषणा की जावे कि चक 4 एच.एल.एम. मे प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज 5.402 हैक्टर खातेदारी भूमि संयुक्त हिन्दु परिवार की जददी जायदाद है वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 सम्पूर्ण भूमि में बहिस्सा बराबर अर्थात 1/4 हिस्सा के हकदार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अंकन किया जावे।

(ख) खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादीगण से दिलाया जावे।

(ग) अन्य कोई अनुतोष जो न्याय हित मे हो वादी को प्रदान किया जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया वादी एवम् प्रतिवादीगण के मध्य लोक अदालत की भावना से आपसी राजीनामा होनें के कारण दिनांक 20.09.2019 को उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया जिसको वादी एवम् प्रतिवादी द्वारा पढ़नें समझने के बाद हस्ताक्षर किये गये। उभयपक्ष की पहचान उनके अधिवक्तागणों द्वारा किये जानें पर राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

वादी एवम् प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा में कथन किया गया कि उक्त प्रकरण मे हम पक्षकारान के मध्य पंचायत के मौजिज व्यक्तियों ने राजीनामा करवा दिया है। वादी व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के पिता प्रतिवादी संख्या 1 बद्री प्रसाद के नाम से चक 3 एच.एल.एम. मे 5.402 है। खातेदारी भूमि राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। उक्त वर्णित भूमि प्रतिवादी संख्या

लगातार 3

Scanned by CamScanner

हमने वादी एवम् प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। विद्धान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि वादाधीन भूमि उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार जद्दी जायदाद होना स्वीकार होनें के कारण वादी एवम् प्रतिवादी संख्या 2 व 3 जो कि प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र है, का भी पैतृक भूमि में हक हिस्सा होनें से वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

–:: आदेश ::–

वादी एवम् प्रतिवादीगण के विद्धान अभिभाषकगण की बहस पर मनन करनें तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद वादी एवम् प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किये गये राजीनामा के अनुसार वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, के अन्तर्गत प्रतिवादी संख्या 1 बद्री प्रसाद के नाम से चक 3 एच.एल.एम. के खाता संख्या 9/7 की कुल तादादी 5.402 हैक्टर मय गैरमुमकिन खाला खातेदारी भूमि में वर्तमान प्रविष्टि "बद्री प्रसाद वल्द हरीराम कौम जाट साकिन जोरावरपुरा" को विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर "वादी विजय कुमार प्रतिवादी संख्या 2 प्रदीप कुमार, प्रतिवादी संख्या 3 संदीप कुमार पुत्रान बद्री प्रसाद जाति जाट निवासी जोरावर पुत्र तथा प्रतिवादी संख्या 1 बद्री प्रसाद पुत्र हरीराम जाति जाट निवासी जोरावरपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़" को बहिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 24.10.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20, नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– कपिल यादव आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 283/2019

1 विजय सिह पुत्र बद्री प्रसाद जाति जाट निवासी जोरावरपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
– – **वादी**

–:: बनाम ::–

1 बद्री प्रसाद पुत्र हरीराम जाति जाट निवासी जोरावरपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2 प्रदीप कुमार पुत्र बद्रीप्रसाद जाति जाट निवासी जोरावरपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3 संदीप कुमार पुत्र बद्री प्रसाद जाति जाट निवासी जोरावरपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
4 ओरियंटल बैंक आफ कॉमर्स जरिये शाखा प्रबन्धक शाखा चोहिलावाली तहसील हनुमानगढ़।
5 ओरियंटल बैंक आफ कॉमर्स जरिये शाखा प्रबन्धक शाखा मैनावाली तहसील हनुमानगढ़।
6 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़।
– – **प्रतिवादीगण**

दावा अन्तर्गत धारा :– 88, आर.टी.ए. बाबत घोषणा
निर्णय दिनांक :– 24.10.2019

वादी की और से श्री रवि कुमार अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 की और से श्री मदनलाल मुण्ड तथा प्रतिवादी संख्या 6 की और से राज पैराकार इस वाद में आज दिनांक 24.10.2019 को कपिल यादव आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है, कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, के अन्तर्गत प्रतिवादी संख्या 1 बद्री प्रसाद के नाम से चक 3 एच.एल.एम. के खाता संख्या 9/7 की कुल तादादी 5.402 हैक्टर मय गैरमुमकिन खाला खातेदारी भूमि में वर्तमान प्रविष्टि "बद्री प्रसाद वल्द हरीराम कौम जाट साकिन जोरावरपुरा" को विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर "वादी विजय कुमार प्रतिवादी संख्या 2 प्रदीप कुमार, प्रतिवादी संख्या 3 संदीप कुमार पुत्रान बद्री प्रसाद जाति जाट निवासी जोरावर पुत्र तथा प्रतिवादी संख्या 1 बद्री प्रसाद पुत्र हरीराम जाति जाट निवासी जोरावरपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़" को बहिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। यह डिक्री आज दिनांक 24.10.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई

मुहर

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Yadav
Date: 2019.11.28 16:15:44 IST
Reason: SelfAttested
Location: